संख्या-36/2022/623/26-3-2022

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 31 मार्च 2022

विषयः-अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के सर्वांगींण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत जनपद बस्ती के विकास कार्यो की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-256-57/स.क./विकास/एकीकृत/ बस्ती-विविध(210)/2021-22,दिनांक-05.08.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-10-अतिपिछडे अनुसूचित जाति समूहों के लिये एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य मद में रू0-190.00 लाख की धनराशि (रू0 एक करोड़ नब्बे लाख मात्र) को अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-10-अतिपिछडे अनुसूचित जाति समूहों के लिये एकीकृत विकास योजना-1004-सामुदायिक केन्द्र का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य मद में उपलब्ध बचतों की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से जनपद-बस्ती के विकासखण्ड-कुदरहा के ग्राम बैड़री एहतमाली में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0-242.116 लाख (रू0 दो करोड़ बयालिस लाख ग्यारह हजार छः सौ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0-190.00 लाख (रू0 एक करोड़ नब्बे लाख मात्र) को स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सी0एल0डी0एफ0 लखनऊ से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी, जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

सुसंगत शासनादेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायोगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)-स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक उत्तरदायी होंगे।

(3)-स्वीकृत धनराशि से आनुपातिक रूप में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर फोटोग्राफ्स की हस्ताक्षरित/प्रमाणित प्रति एवं उपयोगित प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)-संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(5)-उक्त निर्माण/विकास कार्य स्वीकृत धनराशि के अनुपात में कार्य कराने के उपरान्त कार्यदायी संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6)- आगणन में वर्णित लेबर शेष की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(7)-कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन की यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(8)-जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(9)-शासनादेश संख्या-1178/26-3-2020, दिनांक-12.05.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(10)-उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/ बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/प्राविधानों के अधीन जारी की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-पुनर्विनियोग प्रपत्र बी0एम0-9

भवदीय

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव

पृ0संख्या-36/2022/623(1)/26-3-2022 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, बस्ती।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सी0एल0डी0एफ0, 29 कबीर मार्ग, (निकट योजना भवन) क्ले स्क्वायर, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9 निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–83– समाज कल्याण विभाग (एकीकृत विकास योजना) वित्तीय वर्ष 2021–22 (रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–10–अतिपिछडे अनुसूचित जाति समूहों के लिये एकीकृत विकास योजना–1004–सामुदायिक केन्द्र का निर्माण का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य	190.00	190.00	190.00	190.00	00.00
	190.00	190.00	190.00	190.00	00.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्तविभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–10–अतिपिछडे अनुसूचित जाति समूहों के लिये एकीकृत विकास योजना–1003–सम्पर्क मार्ग का निर्माण– 24–वृहत निर्माण कार्य	2000.00	2190.00	190.00	190.00	2190.00
	2000.00	2190.00	190.00	190.00	2190.00

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है– योजना/ निर्माण कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष देयता के भुगतान हेतु।
(3)प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–711/दस–2022 दिनांक 31 मार्च 2022

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव
समाज कल्याण विभाग।

फूलचन्द यादव
अनुसचिव
वित्त विभाग।
हा0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0संख्या–36 /2022/623 (1)/26–3–2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2– महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलाहाबाद।
3– निदेशक, वित्तीय एव सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, बरती।
6– प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सी0एल0डी0एफ0, 29 कबीर मार्ग, (निकट योजना भवन) क्ले स्क्वायर, लखनऊ।
7– वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/ वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, उ0प्र0 शासन।
9 निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।

http

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।